

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 60/2019(जी.सी.एम.एस. नंबर 2019/00135) बअनवान भगाराम व अन्य बनाम भागीरथराम इत्यादि</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
------------------------	---	--

<p>06.05.2025</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अर्द्धशासकीय पत्र जारी किये जाने के बावजूद प्राप्त नहीं हो रही है।</p> <p>हस्तगत पत्रावली की आदेशिकओं एवं अपील मीमों के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में वादग्रस्त आराजी में अपने हक-हिस्से की भूमि में कृषि कनेक्शन प्राप्त करने की अपीलाधीन आदेश में छूट चाही गई है। जो अदालत हाजा द्वारा आदेश दिनांक 28 जून 2019 के जरिये अपीलांट को वांछित अनुतोष त्वरित रूप से प्रदान किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा चाहा गया अनुतोष पूर्ण हो जाने से हस्तगत अपील में अपीलांट का कोई अनुतोष शेष नहीं रहा है। वर्तमान में मामला अनावश्यक रूप से लंबित चल रहा है। न्याय हित में उक्त छूट को निरंतर रखते हुए मामला अंतिम निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्याय हित में उचित प्रतीत होता है।</p> <p>लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलांट के पक्ष में जारी कृषि कनेक्शन प्राप्त करने की छूट को प्रभावी रखते हुए मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण करे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही दारिखल दफ्तर हो।</p> <p>आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(ओमप्रकाश विश्नोई) राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर</p>	
-------------------	---	--

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 60/2019(जी.सी.एम.एस. नंबर 2019/00135) बअनवान भगाराम व अन्य बनाम भागीरथराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	--	---